



## कार्यालय अंचल अधिकारी, बेंगाबाद।

ई-मेल:- [circlebengabad@gmail.com](mailto:circlebengabad@gmail.com)

वाद संख्या :- 07/21-22

मोहन सिंह वगैरे

वाद का प्रकार :- ई-राजस्व न्यायालय (विविध)

बनाम

प्रद्युमन सिंह

पिता: स्व० अमृत सिंह

सा०: चितमाडीह

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्रवाई
25.08.2021	<p>आवेदक श्री मोहन सिंह वो भागीरथ सिंह वो गोखुल सिंह, ग्राम-चितमाडीह, थाना- बेंगाबाद के आवेदन पर इस अभिलेख की कार्रवाई प्रारंभ किया जाता है।</p> <p>आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन मौजा- चितमाडीह, थाना नं० 118, खाता नं० 18, प्लॉट नं० 399 व 442,444,1648 एवं 1678 कुल रकवा 1.83 ए० मद्ये 0.82ए० भूमि विवादित है। प्रश्नगत भूमि आवेदक मोहन सिंह, पिता- श्री झरी सिंह व मो० गौरी, पति- स्व० लालमोहन सिंह व मो० दामोदरी, पति- स्व० दुलो सिंह सर्वे खतियान दादा स्व० सोनु सिंह के वारिसान होने का दावा करते हैं, जो मौजा- चितमाडीह, थाना नं० 118 खाता नं० 18 प्लॉट 399,442,444,1648 एवं 1678 कुल रकवा 1.83ए० मद्ये 0.82ए० जमीन विक्रय बनाम अमृत सिंह व लटु सिंह के नाम किया था। दिनांक 23.09.1987 केवाला सं० 10297 में बिक्री रकवा 0.70ए० ही था, जिस पर पंचगणों के फैसलानुसार जमीन और अधिक देकर 0.82ए० पुरा करने का निर्णय लिया गया, जो आवेदकगण जमीन देने के लिए सहमत है। स्थानीय पंचगणों भी जमीन के सरजमीन पर आकर जमीन दिलाने का भी प्रयास किया गया, फिर भी प्रद्युमन सिंह, पिता- नुनेश्वर सिंह, पिता- स्व० लटु सिंह केवाला के आधार पर जमीन लेने से इंकार किया और विवाद करने को तैयार रहता है।</p> <p>अतः विवादित भूमि से संबंधित राजस्व कागजात के साथ द्वितीय पक्ष श्री प्रद्युमन सिंह, पिता- नुनेश्वर सिंह से कागजात की माँग के साथ अपना पक्ष रखने हेतु नोटिश निर्गत करते हुए राजस्व उप निरीक्षक से प्रतिवेदन दिनांक 05.01.2022 को माँग करें।</p>	
05.01.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>निर्धारित तिथि को आवेदक अनुपस्थित।</p> <p>अभिलेख दिनांक 31.01.2022 को राजस्व न्यायालय के अधीन रखें।</p>	

21/8/21  
अंचल अधिकारी,  
बेंगाबाद।

22/01/22  
अंचल अधिकारी,  
बेंगाबाद।

31.01.2022

अभिलेख उपस्थापित।

निर्धारित तिथि को आवेदक अनुपस्थित।

अभिलेख दिनांक 10.02.2022 को राजस्व न्यायालय के अधीन रखें।

अंचल अधिकारी,  
बेंगाबाद।

10.02.2022

अभिलेख उपस्थापित।

निर्धारित तिथि को आवेदक अनुपस्थित।

अभिलेख दिनांक 11.03.2022 को राजस्व न्यायालय के अधीन रखें।

अंचल अधिकारी,  
बेंगाबाद।

11.03.2022

अभिलेख उपस्थापित।

निर्धारित तिथि को आवेदक अनुपस्थित।

अभिलेख दिनांक 27.04.2022 को राजस्व न्यायालय के अधीन रखें।

अंचल अधिकारी,  
बेंगाबाद।

27.04.2022

अभिलेख उपस्थापित।

निर्धारित तिथि को आवेदक अनुपस्थित।

अभिलेख दिनांक 25.06.2022 को राजस्व न्यायालय के अधीन रखें।

अंचल अधिकारी,  
बेंगाबाद।

25.06.2022

अभिलेख उपस्थापित।

निर्धारित तिथि को आवेदक अनुपस्थित।

अभिलेख दिनांक 06.08.2022 को राजस्व न्यायालय के अधीन रखें।

अंचल अधिकारी,  
बेंगाबाद।

06.08.2022

अभिलेख उपस्थापित।

निर्धारित तिथि को आवेदक अनुपस्थित।

अभिलेख दिनांक 11.01.2023 को राजस्व न्यायालय के अधीन रखें।

११/०१/२३  
अंचल अधिकारी,  
बेंगाबाद।

11.01.2023

अभिलेख उपस्थापित।

निर्धारित तिथि को आवेदक अनुपस्थित।

अभिलेख दिनांक 20.01.2023 को राजस्व न्यायालय के अधीन रखें।

२०/०१/२३  
अंचल अधिकारी,  
बेंगाबाद।

20.01.2023

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष भिन्न-भिन्न निर्धारित तिथि को अनुपस्थित एवं राजस्व कागजात अप्राप्त।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है, के अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा- चितमाडीह, थाना नं० 118, खाता नं० 18, प्लॉट नं० 339,442,444,1648 एवं 1678 कुल रकबा 1.83ए० सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाता की भूमि है। उक्त खाता की भूमि आवेदकगण के हिस्सेदारों द्वारा अपने-अपने हिस्से से अधिक का बिक्री करने से भूमि विवाद उत्पन्न हुआ है, जो विवाद स्वत्ववाद से संबंधित है।

अतः इस अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है।

२०/०१/२३  
अंचल अधिकारी,  
बेंगाबाद।